



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन
शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

शै/स.नि.(अ.हि.अ.)/2016

अप्रैल 12, 2016

परिपत्र संख्या शैक्षणिक 13/2016

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.एवं प्र.प.) / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(के.मा.शि.बो.) की पुस्तकों का प्रयोग

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

यह के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों की विविध कक्षाओं हेतु पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के संबंध में जारी परिपत्र संख्या 41/2015, दिनांक 20 जुलाई 2015 के क्रम में है।

बोर्ड द्वारा कई निर्देश दिए जाने के बावजूद, यह पाया गया है कि केमाशिबो से संबद्ध कुछ विद्यालय अभी भी बच्चों और उनके अभिभावकों को रा.शै.अ.एवं प्र.प./के.मा.शि.बो. से इतर पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए दबाव डालते हैं, जैसा कि बोर्ड को प्राप्त हुई शिकायतों से प्रत्यक्ष है।

इस संदर्भ में के.मा.शि.बो. सुस्पष्ट शब्दों में यह दुहराता है कि बहुत अधिक पाठ्यपुस्तकों जो कि शैक्षणिक रूप से अप्रमाणिक हैं को निर्धारित करना और अभिभावकों एवं बच्चों को उनको खरीदने के लिए बाध्य करना अनुचित व्यवहार है विशिष्टतः क्योंकि रा.शै.अ.एवं प्र.प. विषय सामग्री बोर्ड की परीक्षा के प्रश्नों को तैयार करने के लिए आधार हैं और के.मा.शि.बो. में प्रश्नपत्र विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया जाता है।

रा.शै.अ.एवं प्र.प. विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अजमेर, भोपाल, शिलांग, भुवनेश्वर, मैसूर, अहमदाबाद, बेंगलूरु, कोलकाता, गुवाहाटी और नई दिल्ली में स्वयं के बिक्री केन्द्र चला रहा है। के.मा.शि.बो. से संबद्ध कोई भी विद्यालय रा.शै.अ. एवं प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार थोक में इन केन्द्रों से खरीद सकता है। यह भी सूचित किया जाता है कि रा.शै.अ. एवं प्र.प. द्वारा कक्षा I से कक्षा XII तक के लिए प्रकाशित पुस्तकें epathshala.nic.in पर बिना लागत के उपलब्ध हैं और के.मा.शि.बो. द्वारा [e-cbse पोर्टल www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in) पर प्रकाशन निःशुल्क उपलब्ध है। विद्यालय इस सूचना को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि विद्यालयों को, अभिभावकों को अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए और इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुकरण करना चाहिए।

भवदीया,

(सुगंध शर्मा)

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक